



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112025-267725  
CG-DL-E-19112025-267725

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2025/ कार्तिक 21, 1947

No. 334]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2025/ KARTIKA 21, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना सं. 29/2024-25

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2024

**विषय: सार्वजनिक सूचना संख्या 05/2024 दिनांक 27.05.2024 का आगे 31.12.2024 तक प्रास्थगना**

फा.सं. 01 / 94 / 180 / 104 / एएम24 / पीसी-4 से जारी.—जबकि सार्वजनिक सूचना संख्या 05/2024 दिनांक 27.05.2024 को निर्यात मद में सोना/प्लेटिनम/चांदी की सामग्री के संदर्भ में अनुमत योग्य छिजन और मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों को संशोधित करने के लिए जारी किया गया था। तथापि, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक सूचना संख्या 05/2024 दिनांक 27.05.2024 को सार्वजनिक सूचना संख्या 06/2024 दिनांक 28.05.2024 के माध्यम से 31.07.2024 तक स्थगित रखा गया था और जिसे सार्वजनिक सूचना सं. 16/2024-2025 दिनांक 29.07.2024 के माध्यम से 31.08.2024 तक स्थगित रखा गया था और सार्वजनिक सूचना संख्या 20/2024-2025 दिनांक 29.08.2024 के माध्यम से 15. 09.2024 तक स्थगित रखा गया था और जिसको आगे सार्वजनिक सूचना संख्या 23/2024-2025 दिनांक 12.09.2024 के माध्यम से 31.10.2024 तक स्थगित रखा गया था। नए सिओन का संशोधन प्रक्रियाधीन है।

2 तदनुसार, समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैराग्राफ 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 05/2024 दिनांक 27.05.2024 को 31 दिसम्बर, 2024 तक की अवधि के लिए स्थगित करते हैं। अंतरिम अवधि के लिए, प्रक्रिया पुस्तक

2023 के पैरा 4.59 और सिओन एमा से एम? के तहत छिजन मानदंड जो उक्त सार्वजनिक सूचना संख्या 05/2024 दिनांक 27.05.2024 को जारी करने से पहले मौजूद थे, को बहाल किया गया है।

**सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** सार्वजनिक सूचना संख्या 05/2024 दिनांक 27.05.2024 को 31 दिसम्बर 2024 तक के लिए स्थगित रखा गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(Directorate General of Foreign Trade)

**Public Notice No. 29/2024-25**

New Delhi, the 1st November, 2024

**Subject: Further abeyance of Public Notice No. 05/2024 dated 27.05.2024 until 31.12.2024.**

**F. No. 01/94/180/104/AM24/PC-4.**—Whereas Public Notice No. 05/2024 dated 27.05.2024 had been issued to modify the wastage permissible and Standard Input Output Norms with reference to Gold/Platinum/Silver content in export item. However, keeping in view the representation of the Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), Public Notice No. 05/2024 dated 27.05.2024 had been kept in abeyance till 31.07.2024 vide Public Notice No. 06/2024 dated 28.05.2024 and had been kept in abeyance till 31.08.2024 vide Public Notice No. 16/2024-2025 dated 29.07.2024 and had been kept in abeyance till 15.09.2024 vide Public Notice No. 20/2024-2025 dated 29.08.2024 and had been further kept in abeyance till 31.10.2024 vide Public Notice No. 23/2024-2025 dated 12.09.2024. The revision of new SIONs is under process.

2. Accordingly, DGFT in exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023 as amended from time to time hereby places the Public Notice No. 05/2024 dated 27.05.2024 in abeyance for a further period up to 31<sup>st</sup>December, 2024. For the interim period, wastage norms under Para 4.59 of Handbook of Procedures 2023 and SIONs M1 to M7 as existed prior to issuance of the said Public Notice No. 05/2024 dated 27.05.2024 stand restored.

**Effect of the Public Notice:** Public Notice No. 05/2024 dated 27.05.2024 is kept in abeyance till 31<sup>st</sup> of December, 2024.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.